ग्राम पंचायत उस्तेहड, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 प्रस्तावना{क}:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत **उस्तेहड,** विकास खण्ड नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्रीमति अनुराधा	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री अविनाश उपाध्याय	23-01-16 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विनोद कुमार	01-08-08 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1.	6	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.05
2 .	7	अनुदानों का अवरोधन	18.67
3 .	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीद करने बारे	0.07
4.	9	क्रय निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां न करने बारे	0.07

भाग दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत उस्तेहड , विकास खण्ड नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2014 से 31/03/2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27-01-2018 से 30-01-2018 तक के दौरान पंचायत कार्यालय उस्तेहड में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03 /15 , 02/16 व 03/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 12/14, 09/15 व 08/16 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया

गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत उस्तेहड , विकास खण्ड नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹5400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:37 दिनांक 30-01-18 द्वारा सचिव,पंचायत उस्तेहड से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत **उस्तेहड** द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

{क}स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत उस्तेहड के अवधि1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	97177	95232	192409	79673	112736
2015-16	112736	102784	215520	53700	161820
2016-17	161820	142698	304518	172233	132285

{ख} अनुदान :-ग्राम पंचायत उस्तेहड के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	312300	2609267	2921567	2167585	753982
2015-16	753982	3057823	3811805	2876578	935227
2016-17	935227	5421711	6356938	4489902	1867036

31-3-17 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	KCCB nagrota bagwan	20012008190	933475
2.	PNB samlotti	2580000100024314	7961
3.	PNB samlotti	2580000100078430	155209
4.	PNB samlotti	2580000100077857	175
5.	HDFC nagrota bagwan	50100184089540	1129424
6.	HDFC nagrota bagwan	50100037359263	115
		CASH IN HAND	105
		TOATAL	**₹2226464**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :

(क)दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख):-₹_ :- ₹ 1999321

(ख)दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 2226464

अन्तर **₹227143**

अन्तर कारण :-चैक जारी किए परन्तु 31-03-17 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए:-

दिनांक	चैक न०	व्यक्ति का नाम	राशि

31-03-17	697872	Korla hardware store	9548
31-03-17	697873	Parveen kumar	9300
31-03-17	697874	RTGS-Sharma enterprises	29800
31-03-17	697874	RTGS-korla hardware	24614
31-03-17	697874	RTGS-Shushil dhiman	6800
31-03-17	697874	RTGS-Hardeep kumar	17651
31-03-17	697875	RTGS-Sandhya devi	12000
31-03-17	697875	RTGS-Suresh kumar	12000
31-03-17	697875	RTGS- Hari singh	12000
31-03-17	697875	RTGS-shubhash chand	12000
31-03-17	697875	RTGS- Om prakash	12000
31-03-17	697875	RTGS-Ravi kumar	12000
31-03-17	697876	RTGS- Dharam chand	2700
31-03-17	697876	RTGS- julfi ram	2700
31-03-17	697876	RTGS- Ishwar dass	2700
31-03-17	697876	RTGS- Kapoora devi	2700
31-03-17	697876	RTGS-Jyoti sawroop	2700
31-03-17	697877	Karam chand	2700
31-03-17	000005	Korla hardware	41230
		जोड़	**₹227143**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत **उस्तेहड** की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: भविष्य में पंचायत की रोकड़ बही व बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को तैयार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक भाग आय तथा दूसरा भाग व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.05 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-3-17 तक गृहकर ₹5060 वसूली हेतु शेष था।

गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्रप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	51500	10270	61770	27790	33980
2015-16	33980	31450	65430	65520	-90
2016-17	-90	34600	34510	29450	5060

7 अनुदान ₹18.67 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹1867036** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वांछित होना पड़ा। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.07 लाख के स्टॉक /स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹7000** के स्टॉक /स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 क्रय की गई ₹ 0.07 लाख की निर्माण सामग्री का भण्डारण रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा प्रस्तुत न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर दिए गए विवरणानुसार **₹7000** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है । जो कि एक गम्भीर मामला है। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इसका औचित्य स्पष्ट करते हुए निर्माण सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाए

अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बंधित से करके पंचायत निधि में जमा की जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए ।

10 **विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः अतिशीघ्र विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	**रजिस्टर/अभिलेख का नाम**
1.	मोबाइल टावर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही

11 **पंचायत निधि को कोपरेटिव बैंक के स्थान पर अन्य बैंक में जमा करने बारे:-**

विशेष सचिव(वित्त)के पत्र संख्या :फिन-आईएफ(ए)1-68/83-II दिनांक 27-12-14 के अनुसार पंचायत निधि को केवल कोपरेटिव बैंक में ही जमा करना अपेक्षित था परन्तु पंचायत द्वारा निधि को HDFC बैंक में जमा किया गया है जोकि उचित नहीं है। अत: हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों अनुसार पंचायत निधि को स्टेट कोपरटिव बैंक में निवेश किया जाए।

12 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 **विविध अनियमितताएं :-** ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

14 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

15 निष्कर्ष :-लेखों का रख-रखाव संतोषजनक पाया गया है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)191/2018 खण्ड–1–3344–3347 दिनांक 14.05.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत उस्तेहड़, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881